



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

संख्या : 66-ज0श0 एवं प्र0सु0(01)/पाकालि/10-21 प्र0सु0/2001 TC-3	दिनांक : 25 जनवरी, 2010
---	-------------------------

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-696-ज0श0 एवं प्र0सु0(01)/पाकालि/09-21 प्र0सु0/2001 T.C.-3 दिनांक 23-10-2009 के अन्तर्गत 'अन्तर निगम स्थानान्तरण नीति' में अन्तर निगम स्थानान्तरण हेतु निर्धारित 2 माह की समय सीमा (22-12-2009 तक) को, पावर कारपोरेशन/पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 के निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में एक माह और (22-01-2010 तक) बढ़ाये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-696-ज0श0 एवं प्र0सु0(01)/पाकालि/09-21 प्र0सु0/2001 T.C.-3 दिनांक 23-10-2009 में उल्लिखित अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

पावर कारपो0/पावर ट्रांस0 कारपो0 एवं
मध्या0/पूर्वा0/पश्चि0/दक्षि0 वि0वि0नि0लि0 के
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या-66 (i) ज0श0 एवं प्र0सु0(01)/पाकालि/2010

तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 22-01-2010 तक प्राप्त प्रस्तावों पर 15-02-2010 तक कार्यवाही अवश्य पूर्ण कर लें।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।

फैक्स

9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 22-01-2010 तक प्राप्त प्रस्तावों पर 15-02-2010 तक कार्यवाही अवश्य पूर्ण कर लें।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण निगम लि०।
13. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (आडिट-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15. अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रन्सको-लखनऊ/केस्को-कानपुर।

आज्ञा से,



(नन्द लाल)

निदेशक (क०प्र० एवं प्रशा०)

